भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 335
उत्तर देने की तारीख 21 दिसम्बर, 2021
30 अग्रहायण, 1943 (शक)

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार

335. श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सी.एन.अन्नादुरई :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन (आरकेपीपी) योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को संशोधित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से देश में खेलों को बढ़ावा देने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार योजना बनने के उपरांत इसके अंतर्गत सम्मिलित कॉर्पोरेट एवं स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान लाभान्वित/ पुरस्कार प्राप्त युवाओं का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं खेल विधा-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(च) क्या कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु नियत की गई अपनी धनराशि को खेलों के संवर्धन एवं विकास पर व्यय कर सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के संबंध में श्री गजानन कीर्तिकर और श्री सी.एन.अन्नादुरई, माननीय संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 21.12.2021 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 335 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) से (ग): खिलाड़ियों और कोचों के अलावा अन्य निकायों द्वारा खेलों के विकास के लिए किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने वर्ष 2009 से निम्नलिखित चार श्रेणियों में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संस्थित किए हैं:

i. उदीयमान/ युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण
ii. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन
iii. खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय
iv. विकास के लिए खेल

देश में खेलों के संवर्धन और विकास में कारपोरेट निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, खेल नियंत्रण बोर्ड आदि की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह स्कीम पिछली बार 12.02.2015 को संशोधित की गई थी।

(घ) राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरूआत से विभिन्न श्रेणियों में 48 कारपोरेट निकायों/ स्वैच्छिक संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

(ङ) चूंकि, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम खिलाड़ियों और कोचों के अलावा अन्य निकायों (कारपोरेट और स्वैच्छिक संगठनों) द्वारा खेलों के विकास के लिए किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए है इससे देश के युवाओं को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता ।

(च) "राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ)'' की स्कीम के तहत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य प्राइवेट कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधियों का अंशदान किया जाता है। एनएसडीएफ में सीएसआर निधियां जारी करने के लिए सीएसआर दानकर्ताओं को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नीति दिशानिर्देशों/ अनुदेशों द्वारा शासित किया जाता है । तदनुसार, दानकर्ता कंपनियां अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एनएसडीएफ में सीएसआर निधियां मुहैया कराती हैं ।

****